BR-014/2017

पत्रांक–वन भूमि–16 / 2018......................... / प0व0

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–..............................

विषय :– अररिया वन प्रमंडल अंतर्गत NH-327E गलगलिया–ठाकुरगंज–बहादुरगंज के पथांश गलगलिया–खाईखट (0.00–39.00 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 15.60 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार कि अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 15.60 हे० वन भूमि एवं 2316 वृक्षों के पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्रम सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0–60 CM तक	60 CM से अधिक
1	232	2084

प्रस्तुत प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व 0.2 से कम अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा निर्गत कुल 15.60 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए **FRA,** 2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–15.60 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 32.00 हे० अपकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, अररिया के अररिया प्रक्षेत्र अंतर्गत कुसियारगाँव आजमनगर **PF** को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त की गयी है।

क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 15.60 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 97,65,600/- (संतानवे लाख पैसठ हजार छः सौ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 15.60 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये अररिया वन प्रमंडलान्तर्गत 32.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि कुसियारगाँव आजमनगर सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए 7,89,70,255/- (सात करोड़ नवासी लाख सत्तर हजार दो सौ पचपन रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-16/2018......................./प०व०, पटना-15, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांकः वन भूमि-16/2018 377 (8)/प०व०, पटना-15, दिनांक 03/04/18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

3/4/18
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

VRStg.One70